NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-02-2025

विषय सूची

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024
मणिपुर में जारी अशांति ने उठाया राष्ट्रपति शासन का प्रश्न
भारत-EFTA डेस्क
भारत-रूस रक्षा सहयोग
निवेश के लिए भारत की FDI नीति रूपरेखा

संक्षिप्त समाचार

संत गुरु रविदास
थाईपूसम (Thaipusam)
खुरपका और मुँहपका रोग
UK-भारत यंग प्रोफेशनल्स स्कीम
बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन
ज्ञान अर्थव्यवस्था को मापने के लिए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP)।
विश्व का प्रथम हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर
IIT मद्रास ने स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया
एशियाई हाथी

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद

संदर्भ

- भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा, विशेषकर पाक जलडमरूमध्य, लंबे समय से विवादास्पद मुद्दा रहा है। अवैध रूप से मछली पकड़ने, विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की निरंतर गिरफ्तारी के आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत और श्रीलंका ने कई समझौतों के माध्यम से अपनी समुद्री सीमा को परिभाषित किया है, जिसमें प्रादेशिक जल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और मछली पकड़ने के अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
  - **1974 समझौता:** भारत ने पाक जलडमरूमध्य में एक निर्जन द्वीप कच्चातीवु पर श्रीलंका की संप्रभुता को मान्यता दी।
  - **1976 समझौता:** समुद्री सीमा का विस्तार किया गया तथा संबंधित देशों के मछली पकड़ने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

- **बार-बार गिरफ़्तारियाँ और बरामदगी:**

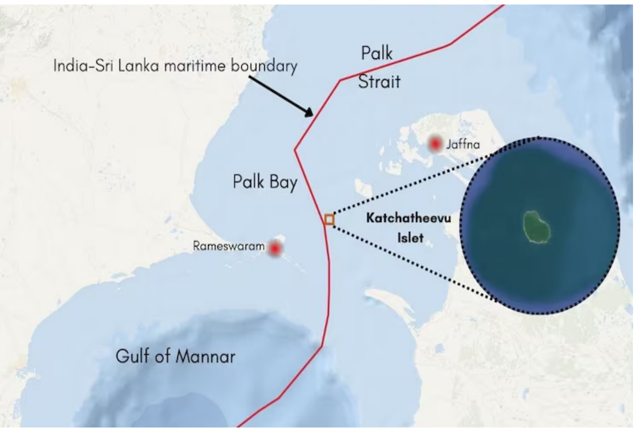

  - भारतीय मछुआरे, विशेषकर तमिलनाडु के, भारतीय जल में मत्स्य भंडार कम होने के कारण मछली की खोज में प्रायः अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) को पार करते हैं।
  - श्रीलंकाई प्राधिकारियों ने गिरफ्तारियाँ, नाव जब्ती और कानूनी कार्रवाई की है, जिससे राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उल्लंघन:**
  - संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत स्थापित IMBL, प्रादेशिक जल का सीमांकन करता है।
  - भारतीय मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) से आगे भी ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के अधिकार का दावा करते रहे हैं, जिसके कारण श्रीलंका के साथ कानूनी और कूटनीतिक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।
- **पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके:**
  - भारतीय मछुआरों द्वारा समुद्र में मछली पकड़ना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समुद्री आवासों को हानि पहुँचती है और मछली भंडार कम होता है।
  - श्रीलंकाई मछुआरे अपने जल को अतिदोहन से बचाने के लिए सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ:**
  - श्रीलंका को भय है कि संगठित ट्रॉलर घुसपैठ का लाभ तमिल उग्रवादी समूह अवैध गतिविधियों के लिए उठा सकते हैं।
- **कच्चातीवु द्वीप विवाद:**
  - भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने और आराम करने के लिए कच्चातीवु का उपयोग करने का सीमित अधिकार है, लेकिन इसकी संप्रभुता एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
  - तमिलनाडु के राजनेता समय-समय पर इसे भारत को वापस करने की मांग करते रहते हैं, जिससे यह विवाद सार्वजनिक चर्चा में बना रहता है।

- **आजीविका संकट:**
  - भारतीय जलक्षेत्र में मछली भंडार में कमी के कारण भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई क्षेत्र में जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे संघर्ष बढ़ रहा है।
  - दशकों के गृहयुद्ध (1983-2009) से उबर रहे श्रीलंकाई तमिल मछुआरों को भारतीय मछली पकड़ने की घुसपैठ से अपनी आजीविका पर खतरा महसूस हो रहा है।

मछली पकड़ने की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून

- **संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (UNFSA, 1995):** इसके अंतर्गत राष्ट्रों को मत्स्य पालन तक पहुँच के लिए क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMOs) के साथ अनुपालन की आवश्यकता होती है।
- **UNCLOS (1982):** अनुच्छेद 87 उन राज्यों के लिए उच्च समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाता है जो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण उपायों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं।

हालिया घटनाक्रम

- **कूटनीतिक वार्ता और समझौते:** भारत और श्रीलंका ने इस मुद्दे पर कई चर्चाएँ की हैं, जिसमें श्रीलंका ने भारत से बॉटम ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
- **मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह:** मछली पकड़ने से जुड़े विवादों को हल करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र।
- **गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पहल:** भारत सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ प्रारंभ की हैं, लेकिन कार्यान्वयन धीमा रहा है।
- **निरंतर गिरफ़्तारियाँ:** कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, भारतीय मछुआरों की गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, 2023, 2024 और 2025 की शुरुआत में ऐसी घटनाएँ होने की सूचना है।

संभावित समाधान

- **मछली पकड़ने के अधिकारों पर द्विपक्षीय समझौते:**
  - भारतीय मछुआरों को विशिष्ट परिस्थितियों में श्रीलंकाई जल में विनियमित पहुँच की अनुमति देने वाला एक संरचित समझौता।
- **प्रौद्योगिकी और सतत मत्स्य पालन:**
  - भारतीय मछुआरों को सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं को अपनाने और नीचे की ओर मछली पकड़ने के बजाय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **संयुक्त गश्त और निगरानी:**
  - अवैध पारगमन को रोकने और मछुआरों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय एवं श्रीलंकाई तट रक्षकों के बीच सहयोग को मजबूत करना।
- **मुआवजा और आजीविका सहायता:**
  - सरकार को अवैध मछली पकड़ने पर निर्भरता कम करने के लिए प्रभावित मछुआरों के लिए वित्तीय सहायता और वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए।
- **नागरिकों के बीच कूटनीति:**
  - आपसी समझ को बढ़ावा देने और तनाव को कम करने के लिए भारतीय और श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाले समुदायों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना।

निष्कर्ष

- भारत-श्रीलंका समुद्री विवाद आर्थिक, कूटनीतिक और पारिस्थितिक आयामों वाला एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। कूटनीतिक चर्चाएँ जारी रहने के बावजूद, दीर्घकालिक समाधान प्राप्त करने के लिए सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं, वैकल्पिक आजीविका और संवर्धित समुद्री सहयोग को शामिल करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

Source: TH

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024

संदर्भ

- वर्ष 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) में 180 देशों में से भारत 96वें स्थान पर है।

परिचय

- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 इस बात पर प्रकाश डालता है कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में किस तरह बाधा डाल रहा है।
- यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर रैंक करता है।
- यह शून्य से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहाँ "शून्य" अत्यधिक भ्रष्ट है और "100" बहुत साफ है।
- यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा संकलित की गई है।
- भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ वैश्विक खतरा है जो विकास को कमजोर करने से कहीं अधिक है - यह लोकतंत्र में गिरावट, अस्थिरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक प्रमुख कारण है।

CPI 2024 के प्रमुख निष्कर्ष

- दुनिया की 85% जनसख्य ऐसे देशों में रहती है, जिनका CPI स्कोर 50 से कम है।
- भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त किए, जो 2023 से एक अंक कम है, और 96वें स्थान पर है।
- सबसे कम भ्रष्ट देश: डेनमार्क, फ़िनलैंड, सिंगापुर।
- सबसे भ्रष्ट देश: दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला।

भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई को कैसे प्रभावित कर रहा है?

- **जलवायु नीतियों को कमज़ोर करता है:** भ्रष्टाचार कुछ शक्तिशाली समूहों के हितों को सार्वजनिक कल्याण से अधिक प्राथमिकता देता है, जिससे पर्यावरण नीतियाँ कमज़ोर होती हैं।
- **शासन और कानून प्रवर्तन को कमज़ोर करता है:** खराब शासन और पारदर्शिता की कमी जलवायु निर्णय लेने में जवाबदेही को कम करती है।
- **जलवायु निधियों का दुरुपयोग:** कई जलवायु-संवेदनशील राष्ट्र CPI पर 50 से नीचे स्कोर करते हैं, जिससे निधि के गलत आवंटन का जोखिम बढ़ जाता है।
- **असमानता को बढ़ाता है:** अप्रभावी नीतियों के कारण हाशिए पर पड़े समुदायों को जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
- **बहुपक्षवाद को कमज़ोर करता है:** भ्रष्टाचार जलवायु वार्ताओं को प्रभावित करता है, जीवाश्म ईंधन लॉबिस्टों को सशक्त बनाता है और पारदर्शिता को कम करता है।

अनुशंसाएँ

- **भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना:** जलवायु वित्त और नीतियों में सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना।
- **जलवायु नीति में पारदर्शिता बढ़ाना:** लॉबिंग विनियमन लागू करना और जलवायु वित्त रिकॉर्ड खोलना।
- **जाँच और सुरक्षा बढ़ाना:** मुखबिरों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करना।
- **सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा देना:** सुनिश्चित करना कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों को निर्णय लेने में शामिल किया जाए।

Source: Transparencia

मणिपुर में जारी अशांति ने उठाया राष्ट्रपति शासन का प्रश्न

संदर्भ

- मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे से राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ गई है।

संविधान का अनुच्छेद 356

- अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, जब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता।
- यह सामान्यतः राज्यपाल की एक रिपोर्ट के बाद होता है, जिसमें कहा जाता है कि राज्य मशीनरी विफल हो गई है।
  - राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करते हैं जो राज्य सरकार के कार्यों को केंद्र को और राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित करती है।

- न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करना जारी रखता है।
- यह घोषणा दो महीने तक वैध रहती है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- यदि अनुमोदित किया जाता है, तो नियम छह महीने तक चल सकता है और छह महीने की वृद्धि में अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रपति शासन

- संविधान को अपनाने के बाद से, अनुच्छेद 356 का उपयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 134 बार किया गया है।
  - मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, दोनों में दस-दस बार।
  - हालाँकि, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दूसरों की तुलना में केंद्रीय नियंत्रण में अधिक समय व्यतीत किया है।
  - जम्मू-कश्मीर या पंजाब जैसे अन्य राज्यों में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता या सुरक्षा चिंताओं जैसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण कम मामले हुए होंगे, लेकिन केंद्र शासन की अवधि लंबी रही होगी।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला

- उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
- निर्णय में यह स्थापित किया गया कि;
  - राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - न्यायालय अवैध, दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों पर आधारित पाए जाने पर इसे रद्द कर सकती हैं।
  - केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाएगा, और कार्यपालिका एवं शासन के अन्य अंग तब तक जारी रहेंगे जब तक कि संसद दो महीने के अन्दर घोषणा की पुष्टि नहीं कर देती।

आपातकालीन प्रावधान

- संविधान के भाग XVIII में आपातकालीन प्रावधानों की बात की गई है।
- आपातकालीन प्रावधानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - अनुच्छेद 352, 353, 354, 358 और 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं,
  - अनुच्छेद 355, 356 और 357 जो किसी निश्चित स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित हैं और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल की बात करता है।

आगे की राह

- राष्ट्रपति शासन, हालाँकि संवैधानिक रूप से स्वीकृत साधन है, भारतीय राजनीति में एक परिचर्चा का मुद्दा बना हुआ है।
- मणिपुर की स्थिति में इसके आवेदन के आस-पास चल रही परिचर्चा, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो राज्य सरकारों की स्थिरता और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण दोनों को सुनिश्चित करता है।

Source: IE

भारत-EFTA डेस्क

संदर्भ

- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने भारत-EFTA डेस्क के उद्घाटन के साथ गहन आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

परिचय

- यह पहल हाल ही में संपन्न भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बाद की गई है, जिससे EFTA भारत के साथ व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने वाला पहला यूरोपीय समूह बन गया है।
  - भारत को EFTA से 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है, जिससे

स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट और कटे और पॉलिश किए गए हीरे जैसे कई उत्पादों को कम या शून्य शुल्क पर खरीदने की अनुमति मिली है।

- भारत-EFTA डेस्क दोनों पक्षों के व्यवसायों के बीच सेतु का कार्य करेगा, जिससे व्यापार करने में सुलभता होगी।
  - यह भारत में निवेश, विस्तार या परिचालन स्थापित करने के इच्छुक EFTA व्यवसायों का समर्थन करेगा।
  - यह अक्षय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजिटल परिवर्तन में निवेश को बढ़ावा देगा।

भारत के लिए महत्त्व

- EFTA का भारत के विकास लक्ष्यों के लिए रणनीतिक महत्त्व है।
  - ग्रीन शिपिंग में नॉर्वे की विशेषज्ञता, रेल नेटवर्क में स्विट्ज़रलैंड की प्रगति, भूतापीय ऊर्जा में आइसलैंड का नेतृत्व और लिकटेंस्टीन का उच्च-मूल्य विनिर्माण।
- IITs और नॉर्वे के आर्कटिक विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान सहयोग, व्यापार से परे TEPA के व्यापक दायरे को प्रदर्शित करेगा।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में

- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन सात सदस्य देशों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **भारत के साथ व्यापार:** भारत-EFTA का दोतरफा व्यापार 2023-24 में लगभग 24 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022-23 में यह 18.65 बिलियन डॉलर था।
  - स्विट्ज़रलैंड भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक है, जिसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है।

भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता

- **बाजार तक पहुँच:** EFTA राज्यों ने 2021 में लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात किया है, जिससे वे पूरे विश्व में 10वें सबसे बड़े व्यापारिक व्यापारी और आठवें सबसे बड़े सेवा व्यापारी बन गए हैं।
  - यह भारतीय व्यवसायों को EFTA सदस्य देशों के बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करेगा।
- **व्यापार भागीदारों का विविधीकरण:** कुछ प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर निर्भरता कम करने से विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **टैरिफ में कमी:** व्यापार समझौतों में सामान्यतः भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर टैरिफ में कमी या उन्मूलन शामिल होता है।
  - यह भारतीय वस्तुओं को EFTA बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है, जिससे संभावित रूप से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार विनिमय:** EFTA कंपनियाँ फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, मशीनरी निर्माण, R&D -संचालित प्रौद्योगिकी उत्पादों, भूतापीय-संबंधित प्रौद्योगिकियों, समुद्री प्रौद्योगिकी, ऊर्जा-संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और बीमा में विश्व की अग्रणी हैं।
  - व्यापार समझौते के माध्यम से अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि की संभावना:** यह अधिक अनुकूल और पूर्वानुमानित कारोबारी माहौल बनाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है।
- **पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार:** EFTA के पास पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आज तक 40 भागीदार देशों के साथ 29 मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के व्यापक नेटवर्क को कवर करता है।

चिंताएँ

- **भिन्न विनियामक मानक:** उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नियमों से संबंधित मानकों का सामंजस्य सुचारू व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है, और मतभेदों के कारण व्यवसायों के लिए अतिरिक्त अनुपालन लागतें बढ़ सकती हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** दोनों पक्षों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और अन्य बौद्धिक संपदा मुद्दों के लिए मानकों और प्रवर्तन तंत्रों पर सहमत होने की आवश्यकता है।
- **सेवाएँ और निवेश बाधाएँ:** यदि सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधाएँ हैं या कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हैं, तो चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **श्रम और पर्यावरण मानक:** यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यापार सौदे में श्रम अधिकारों और पर्यावरण सुरक्षा को बनाए रखने या सुधारने के प्रावधान शामिल हों।

आगे की राह

- भारत और EFTA राज्यों के बीच TEPA के संभावित लाभ महत्त्वपूर्ण हैं।
- यह केवल बाजार पहुँच में सुधार के लिए एक लेन-देन संबंधी व्यवस्था नहीं है, बल्कि आपसी विकास के दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक संबंधों का आधार है।
- EFTA डेस्क इस प्रतिबद्धता को ऐसे संबंधों को बढ़ावा देकर मूर्त रूप देता है जो सभी पक्षों की अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी लाभान्वित करते हैं।

Source: PIB

भारत-रूस रक्षा सहयोग

समाचार में

- हाल ही में, रूस की सरकारी रक्षा निर्यात कंपनी (रोसोबोरोनएक्सपोर्ट) ने रूसी पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (FGFA), Su-57E पर भारत के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा।

भारत-रूस रक्षा सहयोग

- रक्षा सहयोग भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख पहलू है, जो सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौते द्वारा निर्देशित है।
- भारत-रूस रक्षा सहयोग में सैन्य उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की आपूर्ति और विकास के साथ-साथ सैन्य तकनीकी सहयोग तथा नौसेना-से-नौसेना सहयोग समझौते जैसे समझौते भी शामिल हैं।

सहयोग रूपरेखा

- 2021 में भारत-रूस 2+2 वार्ता के दौरान 2021-2031 के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य हथियारों और सैन्य उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन तथा बिक्री के बाद समर्थन में सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।
- **IRIGC-MTC:** भारत और रूस के पास सैन्य सहयोग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है, जिसका नेतृत्व 2000 में स्थापित भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-MTC) द्वारा किया जाता है।
- **रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठकें:** रक्षा मंत्री चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने और सैन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठक करते हैं।
- **द्विपक्षीय परियोजनाएँ:** इसमें S-400 की आपूर्ति, टी-90 टैंकों और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, मिग-29 और कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, INS विक्रमादित्य (पूर्व में एडमिरल गोर्शकोव), भारत में MK-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइलें शामिल हैं।
- **संयुक्त अभ्यास - "इंद्र":** इंद्र अभ्यास सहित तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए हैं।
  - भारत ने रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों और एक्स वोस्तोक में भी भाग लिया।
  - अभ्यास एवियाइंद्र, भारत और रूसी संघ के बीच द्विवार्षिक वायु सेना स्तर का अभ्यास है।
- भारत और रूस ने पहले 2010 में पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (FGFA) कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त

NEXT IAS

विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन भारत ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मुद्दों के कारण 2018 में इसे वापस ले लिया।

नवीनतम घटनाक्रम

- **भारत में Su-57E:** रूस की सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा निर्यात कंपनी ने भारत में Su-57E का स्थानीय उत्पादन करने की पेशकश की है, जो संभवतः 2025 की शुरुआत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) संयंत्र में प्रारंभ हो सकता है।
    - यह इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार, ऑप्टिक्स, AI तत्व, सॉफ्टवेयर संचार और हवाई हथियारों सहित उन्नत पाँचवीं पीढ़ी की प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करेगा।
    - ये प्रौद्योगिकियाँ भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) कार्यक्रम को लाभ पहुँचा सकती हैं।
- इसके अतिरिक्त, रूस ने विमान उत्पादन में 60 वर्षों के सफल सहयोग के आधार पर विमान क्षमताओं को उन्नत करने में भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग का प्रस्ताव रखा।
- रूस अमेरिका के साथ भारत के लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA) के समान एक लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते पर विचार कर रहा है।
    - इससे ईंधन भरने, मरम्मत और पुनः आपूर्ति के लिए सैन्य ठिकानों का आपसी उपयोग संभव होगा।
- रूस ने हाल ही में रसद के पारस्परिक आदान-प्रदान समझौते (RELOS) पर हस्ताक्षर करने को अधिकृत किया है, जो सैन्य आदान-प्रदान, अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह कॉल और मानवीय सहायता कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा।

महत्त्व

- भारत रूस को एक दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देखता है, विशेष रूप से शीत युद्ध के युग से, जिसके साथ रक्षा, तेल, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्त्वपूर्ण सहयोग है।
- भारत-रूस रक्षा संबंध मजबूत हैं जो उनके सैन्य हार्डवेयर की अनुकूलता को उजागर करते हैं, जिसे भारत बड़े पैमाने पर रूस से खरीदता है।
- संभावित रसद समझौता भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व रखता है, विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में, क्योंकि यह रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुँच के साथ इस भू-राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाएगा।

मुद्दे और चिंताएँ

- **आयात पर निर्भरता:** भारत रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित होने की कोशिश कर रहा है।
    - लेकिन इसमें सैन्य उपकरणों के लिए मजबूत औद्योगिक आधार का अभाव है।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध** ने रूस की पुर्जों और हार्डवेयर के लिए समयसीमा को पूरा करने की क्षमता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
    - रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने सैन्य डिलीवरी में देरी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न की हैं
- **चीनी कारक:** रूस के चीन के साथ बढ़ते संबंधों के कारण साझेदारी जटिल हो गई है, विशेषकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के मद्देनजर, जिसे भारत के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है।

निष्कर्ष

- भारत-रूस सैन्य तकनीकी सहयोग समय के साथ क्रेता-विक्रेता ढाँचे से विकसित होकर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, सह-विकास तथा संयुक्त उत्पादन से जुड़े ढाँचे में बदल गया है।
- इसलिए अपनी साझेदारी को बनाए रखने के लिए भारत और रूस को उभरते मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
    - यह सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

Source :TH

निवेश के लिए भारत की FDI नीति रूपरेखा

संदर्भ

- सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए एक नीतिगत ढाँचा तैयार किया है जो पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य और आसानी से समझने योग्य है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- यह विदेशी संस्थाओं (व्यक्तियों या कंपनियों) द्वारा किसी अन्य देश के व्यावसायिक हितों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है, जो सामान्यतः उद्यमों के स्वामित्व या नियंत्रण के रूप में होता है।
- वर्तमान में, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय और तंबाकू का उपयोग करके सिगार, चुरूट, सिगारिलोस एवं सिगरेट के निर्माण में FDI प्रतिबंधित है।

भारत में FDI के मार्ग

- **स्वचालित मार्ग:** किसी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
  - निवेशकों को निवेश करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सूचित करना होगा।
  - विनिर्माण और सॉफ्टवेयर जैसे अधिकांश क्षेत्र इस मार्ग के अंतर्गत आते हैं।
- **सरकारी स्वीकृति मार्ग:** संबंधित मंत्रालय या विभाग से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  - दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और बीमा जैसे क्षेत्र इस मार्ग के अंतर्गत आते हैं।

FDI नीति ढाँचे की मुख्य विशेषताएँ

- **FDI के लिए स्वचालित मार्ग:** 90% से अधिक FDI प्रवाह स्वचालित मार्ग से होता है, जिससे विनियामक समस्याएँ कम होती हैं।
- **क्षेत्रीय उदारीकरण:** रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और अंतरिक्ष में हाल ही में नीतिगत छूट ने निवेश के अवसरों में सुधार किया है।
- **बीमा क्षेत्र में सुधार:** केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई, बशर्ते कि पूरा प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सकारात्मक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र और रसद प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।
  - बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रैंकिंग,
  - विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS) रिपोर्ट, और
  - राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक (केंद्रीय बजट 2025 में घोषित)।

FDI का महत्त्व

- **भुगतान संतुलन (BoP):** FDI विदेशी पूँजी लाकर चालू खाता घाटे को समाप्त करने में सहायता करता है।
- **मुद्रा स्थिरता:** स्वस्थ अंतर्वाह वैश्विक बाजारों में रुपये के मूल्य का समर्थन करता है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** FDI उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रबंधकीय कौशल के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **गुणक प्रभाव:** FDI का संबंधित क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि होती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **उदारीकृत FDI नीति:** रक्षा (74%), बीमा (74%), और एकल-ब्रांड खुदरा (100%) में FDI सीमा बढ़ाई गई।
- **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ:** विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रारंभ की गईं।
- **बुनियादी ढाँचा विकास:** गति शक्ति, भारतमाला और सागरमाला जैसे कार्यक्रम कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **डिजिटल इकोसिस्टम:** डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- **इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स को प्राथमिकता दें:** समय पर परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करें और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को आकर्षित करना।
- **कार्यबल कौशल:** उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को मजबूत करें:** प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादकता और नवाचार को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

संत गुरु रविदास

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने संत गुरु रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक श्रद्धेय संत थे, जिन्हें एकता, भक्ति एवं मानवता की सेवा के उनके शक्तिशाली संदेश के लिए जाना जाता है।
- वह संत कबीर के शिष्य थे और उन्हें रविदासिया धर्म का संस्थापक माना जाता है।

जीवन और शिक्षाएँ

- वह जाति-आधारित भेदभाव के प्रबल विरोधी थे और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए अथक प्रयास करते रहे।
- उन्होंने धार्मिक और सामाजिक बाधाओं से ऊपर उठकर मानव समानता, प्रेम एवं भाईचारे के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने लोकप्रिय हिंदी कहावत 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' गढ़कर समाज को 'कर्म' का एक बहुत व्यापक संदेश दिया।

विरासत

- रविदास के भक्ति छंदों को सिख धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया।
- हिंदू धर्म में दादू पंथी परंपरा के पंच वाणी पाठ में भी रविदास की कई कविताएँ शामिल हैं।
- हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने गुरु रविदासजी द्वारा व्यक्त मूल्यों के आस पास संवैधानिक सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया।

Source: AIR

थाईपूसम (Thaipusam)

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थाईपूसम के अवसर पर शुभकामनाएँ दीं।

थाईपुसम के बारे में

- "थाईपूसम" नाम "थाई" (तमिल महीना) और "पूसम" (त्योहार के दौरान सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित तारा) से आया है।
- यह एक हिंदू त्योहार है जो भगवान मुरुगन (जिन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है) के सम्मान में मनाया जाता है, जो युद्ध, विजय और बुद्धि के हिंदू देवता हैं, साथ ही साहस, दृढ़ संकल्प एवं आध्यात्मिक विकास का प्रतीक भी हैं।
    - थाईपुसम उस समय की स्मरण दिलाता है जब भगवान मुरुगन ने राक्षस सुरपद्म को हराने के लिए देवी पार्वती से दिव्य वेल (भाला) प्राप्त किया था।
- यह त्यौहार तमिल माह थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
- यह त्यौहार भारत के तमिलनाडु में तमिल समुदाय द्वारा तथा विश्व स्तर पर श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया जैसे स्थानों में व्यापक रूप से मनाया जाता है।

Source :IE

खुरपका और मुँहपका रोग

संदर्भ

- खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) पशुओं का एक अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है जिसका आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक होता है।

परिचय

- FMD एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो पिकोर्नवीरिडे परिवार के सदस्य एफ़थोवायरस के संक्रमण के कारण होता है।
- यह रोग मवेशियों, सूअरों, भेड़ों, बकरियों और अन्य फटे खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है।
- **लक्षण:** बुखार, जीभ, होंठ, मुँह, खुरों और स्तन ग्रंथियों पर छाले, क्षरण, अधिक लार, भूख न लगना, लंगड़ापन और गर्भपात।
- **संचरण:** FMD द्वारा संचारित किया जाता है;
  - संक्रमित पशुओं के साथ सीधा संपर्क,
  - वाहन, कपड़े, जूते और बिस्तर जैसी दूषित वस्तुओं के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क,
  - दूषित भोजन या दूध का सेवन करना,
- **उपचार:** FMD के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। लक्षण सामान्यतः 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं।
  - एक सामयिक मौखिक संवेदनाहारी मुँह के छालों के दर्द से राहत दिलाने में सहायता कर सकती है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)

- यह कार्यक्रम 2019 में खुरपका और मुँहपका रोग (FMD) टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया था।
- NADCP को 2021 से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में शामिल किया गया था।

Source: PIB

UK-भारत यंग प्रोफेशनल्स स्कीम

समाचार में

- यूनाइटेड किंगडम-भारत यंग प्रोफेशनल्स स्कीम (YPS) के लिए मतदान जल्द ही खुलेगा।

योजना के बारे में:

- इसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और यह 18 से 30 वर्ष की आयु के ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों को दो वर्ष तक दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने, यात्रा करने और कार्य करने की अनुमति देता है।
- यह 2021 प्रवासन और गतिशीलता समझौते का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक देश के लिए प्रति वर्ष 3,000 प्रतिभागियों की सीमा तय की गई है।
- नियमित कार्य वीज़ा के विपरीत, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, तथा इसमें आवेदकों को आश्रितों को साथ लाने की अनुमति नहीं होती है।
- 2023 में 2,100 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूके के लिए YPS वीजा प्राप्त हुआ।
- **पात्रता:** उम्मीदवारों के पास यू.के. में स्नातक की डिग्री या उससे ऊपर की योग्यता होनी चाहिए तथा यू.के. में स्वयं के व्यय के लिए 2,530 पाउंड की बचत का प्रमाण होना चाहिए।
  - अन्य ब्रिटिश कार्य वीज़ा, जैसे कि कुशल श्रमिक या स्वास्थ्य एवं देखभाल कर्मी वीज़ा, के विपरीत, इसमें रोजगार की पेशकश या वेतन शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें प्रायोजन प्रमाणपत्र और न्यूनतम वेतन सीमा सहित कठोर शर्तें होती हैं।

Source :IE

बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन

समाचार में

- भारत ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की

शिखर सम्मेलन के बारे में

- इसका आयोजन भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा ज्ञान साझेदार के रूप में CII YI द्वारा किया जाता है।
- यह सात बिम्सटेक देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) के 70 से अधिक युवा नेताओं को उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।

- इसका विषय है, "अंतर-बिम्सटेक आदान-प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में", जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए युवाओं को सशक्त बनाना तथा बेहतर भविष्य के लिए समाधानों पर सहयोग करना है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत की "पड़ोसी पहले" और "एक्ट ईस्ट" नीतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास (सागर) के लिए इसके दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी और विकास को बढ़ावा देना है।

क्या आप जानते हैं?

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- प्रारंभ में इसका नाम BIST-EC (बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) रखा गया, बाद में दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल को शामिल करते हुए इसका नाम बदलकर बिम्सटेक कर दिया गया।
- **फोकस:** प्रारंभ में छह क्षेत्रों (व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन) पर ध्यान केंद्रित किया गया, 2008 में सहयोग का विस्तार कर इसमें कृषि, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद-निरोध, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया।

Source :BS

ज्ञान अर्थव्यवस्था को मापने के लिए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP)।

संदर्भ

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "GDKP मापन के संकल्पनात्मक ढाँचे" पर एक सत्र आयोजित किया।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) के बारे में

- GDKP की अवधारणा सर्वप्रथम प्रोफेसर जेफ कोल. द्वारा प्रस्तावित की गई थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो सुल्पासो के साथ।
- यह एक प्रस्तावित मीट्रिक है जिसे किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न और उपयोग किए गए ज्ञान को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सकल घरेलू उत्पाद के पूरक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- GDKP चार मूलभूत स्तंभों का उपयोग करके किसी राष्ट्र के विकास और भविष्य का मूल्यांकन करता है:
  - **ज्ञान से संबंधित मदें [Knowledge Items] (Ki):** आधुनिक और पारंपरिक सांस्कृतिक ज्ञान की पहचान करना जो देश की बौद्धिक पूँजी में योगदान देता है।
  - **देश का ज्ञान उत्पादक मैट्रिक्स (CKPM):** सरकारी संस्थानों, निजी संगठनों और परिवारों द्वारा उत्पादित ज्ञान का विश्लेषण करना।
  - **देश का ज्ञान उपयोगकर्ता मैट्रिक्स (CKUM):** व्यक्तियों और निजी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए ज्ञान के मूल्य को मापना, इसकी मांग एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना।
  - **सीखने की लागत:** जीवन-यापन की लागत के समान, इस मीट्रिक को सरकारी बजट आवंटन और नीतिगत निर्णयों के लिए एक राजनीतिक संदर्भ बिंदु के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

महत्त्व

- इस पहल का उद्देश्य भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर ज्ञान, नवाचार और बौद्धिक संपदा के प्रभाव का आकलन करना है।
- GDKP अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित आर्थिक विकास की अधिक समग्र तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है।

Source: IE

विश्व का प्रथम हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर

समाचार में

- जापान के इंजीनियरों ने विश्व के प्रथम हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर रेइमी को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है।

परिचय

- 20-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को दुनिया के छठे सबसे तेज सुपरकंप्यूटर फुगाकू में सहजता से एकीकृत किया गया है, जो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन है।
- अधिकांश क्वांटम कंप्यूटरों के विपरीत, जो सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट पर निर्भर करते हैं, रीमेई ट्रैप्ड-आयन क्यूबिट का उपयोग करता है - एक ऐसी तकनीक जो विद्युत चुम्बकीय आयन ट्रैप में आवेशित परमाणुओं (आयनों) को अलग करती है और उनकी क्वांटम अवस्थाओं में सटीक रूप से संशोधन करने के लिए लेजर का उपयोग करती है।
- फुगाकू में रीमेई को एकीकृत करने का उद्देश्य जटिल गणनाओं से निपटना है, जिन्हें करने में पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों को कठिनाई होती है, विशेष रूप से भौतिकी और रसायन विज्ञान अनुसंधान में।

Source: TH

IIT मद्रास ने स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की

संदर्भ

- IIT मद्रास और इसरो ने शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है।

परिचय

- IRIS (इंडीजिनस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन) नामक यह चिप शक्ति माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित है।
- शक्ति प्रणालियाँ RISC-V, जो एक ओपन-सोर्स प्रोसेसर तकनीक है, का उपयोग करती हैं और इन्हें 'डिजिटल इंडिया RISC-V' (DIRV) पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाता है।
- यह विकास अंतरिक्ष और अर्धचालक प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इसे दोष सहिष्णुता और विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त है।

Source: IT

एशियाई हाथी

संदर्भ

- अफ्रीकी और एशियाई हाथी पूरी तरह से अलग प्रजातियाँ हैं जिनकी आदतें, आवास और अनुकूलन अद्वितीय हैं।

एशियाई हाथी

- एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस) पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में वितरित है।
- यह एशिया का सबसे बड़ा जीवित स्थलीय प्राणी है। वर्तमान में तीन उप-प्रजातियाँ पहचानी गई हैं: श्रीलंकाई, भारतीय और सुमात्रा हाथी।
- **स्वरूप:** अपने अफ्रीकी समकक्षों की तुलना में छोटे, एशियाई हाथियों को उनके "छोटे" गोल कानों से आसानी से पहचाना जा सकता है।
  - उनकी पीठ पर प्रायः एक कूबड़ होता है, दो कूबड़ वाला दोहरा गुंबददार सिर होता है, तथा पकड़ने के लिए उनकी सूंड पर एक "उंगली" होती है।

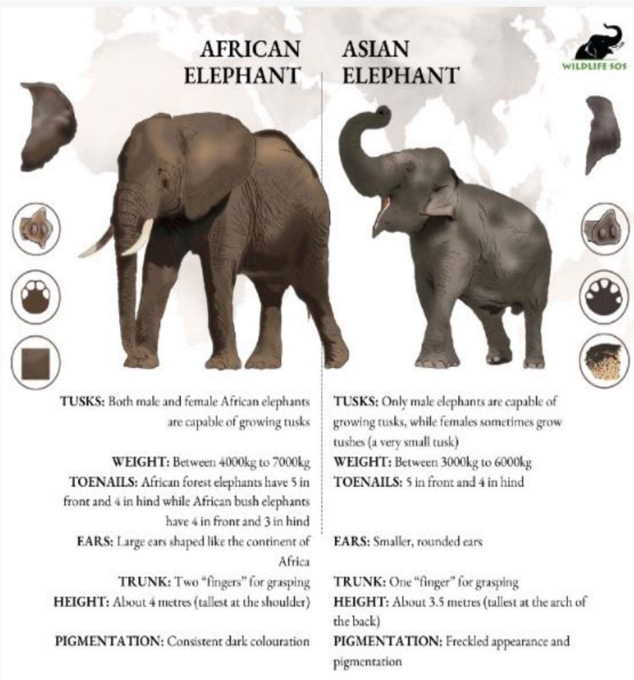

- **निवास स्थान:** निवास स्थान आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से लेकर अर्ध-शुष्क कंटीले और झाड़ीदार वनों तक विस्तृत है।
  - हालाँकि, हाथियों की जनसंख्या का उच्चतम घनत्व उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है।
- हाथी 'महा-शाकाहारी' होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी से भरपूर विशाल वन और घास के मैदानों की आवश्यकता होती है।
- **वितरण:** वर्तमान में, वे दक्षिण, उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में चार विखंडित जनसंख्या में पाए जाते हैं।
- **IUCN स्थिति:** लुप्तप्राय
- **खतरे:**
  - प्राकृतवास हानि
  - मानव-पशु संघर्ष
  - अवैध वन्यजीव व्यापार

भारत में हाथियों की जनसंख्या

- भारत में एशियाई हाथियों की वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा रहता है।
- वर्तमान जनसंख्या अनुमानों से पता चलता है कि विश्व में लगभग 50,000-60,000 एशियाई हाथी हैं और भारत में लगभग 30,000 हाथी हैं।

Source: TH

■■■■